



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271539
CG-DL-E-02042026-271539

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1657]

नई दिल्ली बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948

No. 1657]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2026

का.आ. 1722(अ).—जबकि, केंद्रीय सरकार ने लोकहित में और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, मोर्फोलीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 (जिसे इसके पश्चात उक्त आदेश कहा जाएगा) का.आ. 1893 (अ) के तहत दिनांक 16 जून, 2020 को अधिसूचित किया है।

और जबकि, वैश्विक स्तर पर व्याप्त संकट को देखते हुए, केंद्र सरकार ने ब्यूरो के परामर्श से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का संज्ञान लिया है और आश्वस्त है कि मोर्फोलीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, उक्त आदेश के संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित करना आवश्यक और समीचीन है;

अब, इसलिए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केंद्र सरकार भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

मोर्फोलीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के पैरा 2 में निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु उक्त माल या वस्तु की आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी प्रकार के व्यवधान को रोकने के लिए, ऐसे भारतीय मानक का अनुपालन 1 अप्रैल, 2026 से 1 जुलाई, 2026 की अवधि के लिए लागू नहीं होगा।”

[फा. सं. सी-II 13012/2/2024- डीआईए-सीपीसी-सीपीसी]

दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मोर्फोलीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 1893(अ), तारीख 16 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसे अंतिम बार अधिसूचना का.आ. 4772(अ), तारीख 30 अक्टूबर, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals And Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 2nd April, 2026

S.O. 1722(E).—Whereas, the Central Government has notified the *Morpholine (Quality Control) Order, 2020 vide S.O. 1893 (E)*, dated the 16th June, 2020 (hereinafter to referred as the said Order) in the public interest under the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016);

And whereas, in view of the exigencies prevailing globally, the Central Government, in consultation with the Bureau, has taken cognizance of the supply chain disruption and is satisfied that to ensure availability of the Morpholine, it is necessary and expedient to suspend the operation of the said order temporarily;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of the section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), and being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, the Central Government, after consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following amendment to the said Order, namely:-

In the *Morpholine (Quality Control) Order, 2020*, in paragraph 2, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that to prevent any disruption of supply chain of the said goods or article, the conformation to such Indian Standard shall not be applicable for the period from the 1st April, 2026 to 1st July, 2026”.

[F. No.C-II-13012/2/2024- DIA-CPC-CPC]

DEEPANKAR ARON, Jt. Secy.

Note: The *Morpholine (Quality Control) Order, 2020* was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 1893(E), dated the 16th June, 2020, and last amended vide notification number S.O. 4772(E), dated the 30th October, 2024.